International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 3, March - 2018
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

कौटिल्य काल में महिला दासों की जीवन दशा

डॉ0 सुधाकर कुमार
स्नातकोत्तर इतिहास विभाग
ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा
मो0 नं0– 8210850047
ई–मेल– drsudhakarkumar@gmail.com

"स्त्री एवं दास वर्ग" का चित्रण भारत के प्राचीनतम ग्रथं ऋग्वेद, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रन्थ एवं जैन ग्रंथों में भी उपलब्ध है। यह सत्य है कि आधुनिक काल में स्त्री एवं दास वर्ग को जिस रूप में चित्रित किया गया है, उस रूप में वहां चित्रित नहीं है। लेकिन अभी के स्त्री एवं दास वर्ग की जो स्थिति है वह स्थिति कौटिल्य काल में स्त्री एवं दास वर्ग की नही थी। ऋग्वेद में आर्य एवं अनार्य का वर्णन है। आर्य की स्थिति अच्छी थी और अनार्य की स्थिति दयनीय थी आर्यो की पूजा होती थी, वहीं सम्पूर्ण ऋग्वेद में अनार्यो की भर्तस्ना की गई है। इन्हें दास, दत्यु या असुर की संज्ञा दी गई[1] अनार्यों की स्थिति अच्छी थी, लेकिन सबल आर्यों ने उनके मकान तक को भी जला दिया। दासों और दस्युओं के अपने नगर थें जिनके विनाश की प्रार्थना आर्यों ने बार–बार इन्द्र से ही है।[2]

आर्यो – अनार्यो का संधर्ष कई सदियों तक चलता रहा, अन्त में आर्यो ने दस्यु या दास जातिवालों अनार्यो को बुरी तरह पराजित कर दिया। युद्ध में काम आने के पश्चात बहुत अधिक संख्या में दस्यु या दास जाति हो गई। इन शेष लोगों को विवश होकर या तो आर्यो से कहीं बहुत दूर जंगल गुफा–कन्दराओं में शरण लेनी पड़ी या तो उन्हीं की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। फलस्वरूप इस दस्यु या दास जाति के इतने अधिक लोग गुलाम बनाये गये कि दास शब्द का अर्थ ही गुलाम हो गया। इनके नेताओं को बंद कर दिया गया।[3]

यही दास शब्द सर्वहारा का पर्याय बन गया। डी0 एन0 झा के अनुसार संभवतः आदिवासी जनजातियों के अधिकतर सदस्य आर्य– जीवन के घेरे के बाहर के प्राणी समझे जाते थे और नये समाज में उन्हें सबसे निचले दर्जे में रख दिया गया था।[4]

अनार्य ही केवल स्त्री एवं दास वर्ग या शोषित नहीं थे, अपितु आर्यो में भी स्त्री एवं दास वर्ग का एक अलग वर्ग था जो आर्य भारत में आये तब वे तीन श्रेणियों में विभक्त थे। योद्दा अथवा अभिजात, पुरोहित और सामान्य जन अर्थात स्त्री एवं दास वर्ग योद्वा श्रेणी के लोगों को कबीलाई युद्धो में सबसे अधिक लुट का माल मिला। लेकिन कबीले के ब्राह्मण सदस्य को प्रारंभ में सामान्य जन की ही भांति अधिकार प्राप्त थे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि ब्राह्मण बामदेव को भी अपनी घोर दरिद्रता के कारण विलाप करना पड़ा। घोर क्षुधा से पीड़ीत रहने के कारण कुत्ते की अंतड़ियां पकायी, देवताओं, ने मुक्षे संरक्षण नहीं प्रदान किया। मुक्षे अपनी पत्नी को बदनाम होते देखना पड़ा।[5]

उत्तर वैदिक काल में समाज के चातुर्वर्ण्य विभाजन की रेखा और भी मजबूत हो गई। ब्राह्मणों को समाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त था। क्षत्रिय, योद्धा वर्ग के प्रतिनिधि तथा वैश्य कृषि तथा व्यापार के संचालक बन गए तथा शूद्र अर्थात स्त्री एवं दास वर्ग मजदूर और गुलाम बन गये। इस पर अन्य तीनो का नियंत्रण हो गया। स्त्रियों जिसे भी स्त्री एवं दास वर्ग में रखा गया है, गुलाम बनाया गया जो ब्राह्मण की सेवा करती थी। औरत को तीन व्याधियों मे एक व्याधि मानी गयी। किसी सभा, परिषद आदि में जाने से उसे रोक दिया गया।

वौद्धकालीन समाज में भी स्त्री एवं दास वर्ग का चित्रण मिलता है, यह चित्रण शुद्र एवं दास के रूप में मिलता है। शुद्र प्रंमुख रूप से सेवक और मजदूर के रूप में कार्य करते थें। आपस्तम्ब धर्मसूत्र के अनुसार शुद्र भू विहीन थे।[6] इन्हें भतक और कर्मकार कहा जाता था।[7]

पालि – पिटक में चंडाल, नसाद, निषाद, पुक्कुस पेल्कष वेण तथा रथकार – इन पांच जातियों को हीन जाति में वर्णित किया गया है। इन जातियों के सदस्यों को नीचकुलोत्पन्न कहा गया और इनके कर्म भी नीच कहलाये।[8]

हीन – जातियों मे चांडालों की अवस्था सर्वाधिक शोचनीय थी। अभागे चांडालों का समाज में सर्वत्र तिरस्कृत होना पड़ता ओर बेचारे नगर–सीमा से हटकर अपने घर बनाते[9] जातक कथाओं में स्त्री एवं दास वर्ग के रूप में दास का वर्णन मिलता है। दासों के प्रति दासपत्तियों का व्यवहार सदैव कठोर रहा, दासों का कय – विक्रय भी किया जाता था।

जैन धर्म के समय में भी स्त्री एवं दास वर्ग का अस्तित्व कायम था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने निम्न जातियो के प्रति बहुत ही उदार दृष्टिकोण अपनाया[10] इससे यह स्पष्ट होता है कि जैन के समय में भी स्त्री एवं दास वर्ग कायम था।

उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि वैदिक काल से लेकर जैन के समय तक स्त्री एवं दास वर्ग का पूर्ण अस्तित्व था। जिनका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दशा जर्जर थी।

कौटिल्य का अर्थशास्त्र अपने पूर्व के सभी तथ्यों को समावेश किए हुए है। इसमें चन्द्रगुप्त के समय की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दशा का विशद चित्रण उपलब्ध होता है। अतः इसमें भी स्त्री एवं दास वर्ग का चित्रण अपने सभी आयामों के साथ चित्रित है।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में समाज को चार वर्णों मे विभाजित किया गया है। – ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र ही स्त्री एवं दास वर्ग माने गयें, कारण सर्वहारा की जो परिभाषा दी गई है – शूद्र का जीवन उसी से साम्यता रखता है। कौटिल्य ने सभी वर्णो के स्वधर्म को स्थापित करते हुए, शूद्र के लिए द्विजातियों, ब्राहण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना उसका स्वधर्म बतलाया।[11] स्त्री एवं दास वर्ग के अन्तर्गत चाण्डाल की भी गिनती होती थी। चाण्डाल एक ऐसे वर्ग के व्यक्ति थे, जिसे समाज मे हीन दृष्टि से देखा जाता था। उसका निवास जगह से दूर शमशान के समीप होता था।

सामंतवादी वर्ग मे यह प्रवृति अभी भी विधमान है कि वह अपने से हीन जाति या वर्ग को नहीं देखना चाहता, यही स्थिति मौर्यकाल मे भी थी।

नाई, सुनार, बढ़ई आदि जातियों के लोग न तो अपने को शूद्र मानते थे ओर न उच्च वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अपने वर्गो मे अपनाये जाते थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि तत्कालीन नाई, सुनार बढ़ई आदि भी स्त्री एवं दास वर्ग में थे।

प्राचीन काल से ही दास प्रथा प्रचलित रही है, दास को स्त्री एवं दास वर्ग की श्रेणी में रखा गया हैं। कारण दास संज्ञा पराधीनता को घोतक है और पराधीन व्यक्ति के भाग्य में सुख कहाँ दासों के सुख – दुःख के विधाता वो उनके स्वामी थे।[12] ऐसे दासों की प्रथा कौटिलय अर्थशास्त्र में भी मिलती हैं इस काल में कुछ लोग जन्म से दास, उदर – दास हुआ करते थें । जिन्हें खरीदा और बेचा जा सकता था। मलेच्छ लोग अपने बच्चों और अन्य संबंधियों को दास के रूप में बेच सकते थे।[13] आर्य भी विशेष परिस्थिति में दास हो सकते थे, लेकिन दासत्व से शीध्र ही उसे छुटकारा मिल जाता था। वे जन्म भर दास नहीं रहते थे। यदि स्वामी से किसी दासी को संतान उत्पन्न हो जाए तो वह संतान और उसकी माता दोनो का दासत्व से छुटकारा पा जाती थी । पर यदि दासी अपने और अपनी संतान के हित की दृष्टि से स्वामी के पास ही रहना चाहे, तो उसके भाई–बहन दासत्व से मुक्त कर दिये जाते थे। जब कोई दास या दासी एक बार दासत्सव से स्वतंत्र हो जाए तो उन्हें फिर बेचने और रहने रखने पर – 12 पण जुर्माना किया जाता था। बशर्ते कि उन्होंने स्वंय ही ऐसा करने के लिए स्वीकृति न दे दी। जो दास स्त्रियां धत्री, दाई परिचारिका आदि का कार्य कर रही हो, यदि उनके प्रति अनाचार किया जाए तो इसी आधार पर उनका दासत्व समाप्त हो जाता था। और वे स्वतंत्रता प्राप्त कर लेती थी।[14]

आधुनिक विचारको ने नारी को भी स्त्री एवं दास वर्ग के अन्तर्गत रखा है कारण नारी भी सदा से प्रताड़ित, उपेक्षित और परतंत्र रही है। प्राचीन भारत के समाज के पुरूष का स्थान नारी से उच्च होने के कारण उससे स्वाभावतः पुनर्विवाह के अधिकार का उपयोग किया। कौटिल्य मे तन्मय

होकर पान व अन्य पुष्ट अभ्यासों से ग्रसित नही होने दिया जाता था। घुमक्कड़पन, अन्य पुरूष के साथ पलायन, सुदुर भ्रमण और परगृह बात के लिए भारी दण्ड शूल्क लगाये जाते और शारीरिक क्षति पहुंचायी जाती थी।

मौर्य युग में वेश्यावृति भी प्रचलित थी, यह गणिका और रूपाजीवाएं के नाम से जानी जाती थी। राजप्रासाद में राजा के मनोरंजन के लिए बहुत सी गणिकाएं नियुक्त थी। गणिकाएं को वेतन भी दिया जाता था। गणिकाएं रूप यौवना सम्पन्न होती थी । गणिकाएं की उम्र जब ढ़ल जाती थी तो उन्हे रसोई घर आदि के कार्य में लगा दिया जाता था। राजज्ञा के अनुसार गणिकाएं अन्य पुरूषों की काम पिपासा को शांत करती थी। आज्ञा के उल्लंघन करने पर उन्हें दण्ड भी दिया जाता था।

मौर्ययुग में बहुत से ऐसे लोग जिनका कार्य जनता का मनोरंजन करना तमाशे दिखाना था। जो स्त्री एवं दास वर्ग की श्रेणी में आते थे। समाज में उनका वही स्थान था जो शूद्रों का था, उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय थी इसलिए वे लोग गांवों ओर नगरों मे जाकर अपने–अपने कलाओं का प्रदर्शन करते। ऐसे स्त्री एवं दास वर्ग में नट, नाटक करने वाले नर्तक, नाचने वाले, गायक, गानेवाले, वादक–बाजा बजाने वाला, वाग्जीवन विविध प्रकार की बोलियां बोलकर अपनी बाणी द्वारा लोगों का मनोरंजन करने वाले, सोभिक मदारी और चारण। "कौटिल्य" की संपत्ति में ये नट, नर्तक, वादक आदि जनता के कार्य में विध्न डालने वाले होते है। अतः ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि ये कार्यविध्न न कर सके। क्योंकि ग्राम प्रायः निराश्रय होते है और उनके निजी खेती पर ही अपनी आजीविका के लिए आश्रित रहते है। अतः नट, नर्तक आदि को ग्रामों में जाकर लोगों के कार्य में विध्न नहीं डालने देना चाहिए।[15]

विष्टि बेगारी और दास प्रथा दो एसी संस्थाएं है, जिनका संबंध मजदुर से है। विष्टि पूर्वकालीन भारतीय आर्थिक इतिहास में औधोगिक व्यवस्था का एक प्रसिद्ध अंग थी, जिसके सहारे कई अतिशय विशाल निर्माण संभव हुए। शिल्पी, उधोगपति, मजदूर आदि को प्रतिमास एक दिन राजा के काम में मुफ्त खटना पड़ता था। उपने अधिकारियों के दौरे पर या अपने सैनिक प्रयोजनों के लिए राजा अधिकारपूर्वक जबरन किसी से भी बेगारी ले सकता है या किसी को भी शाही फौजी में भरती कर सकता था। छठी शताब्दी ई0 में यह कामगारों बढ़इयों, नाइयों, कुम्हारों आदि पर भी लादी गई।

"बेगारी लगाने" श्रम कर लेने की प्रथा कौटिल्य के काल से या उससें भी पहले से चली आ रही थी। भारत में मौर्य की अमलदारी से ही बड़े–बड़े लोक निर्माणों की रचना और अनुरक्षण बेगारी प्रथा की ही देन है, जैसे हिमालय पर्वत होते हुए तिब्बत जनेवाली सड़क तथा तंजौर का महामंदिर[16]

बेगारी उन क्रूर और अनैतिक प्रथाओं में थी जो गरीबों की स्थिति को बिगाड़ने वाली थी। कौटिल्य ने इसे राजकीय अधिकारियों और भूस्वामियों का विशेषाधिकार माना है।[17]

1. **कृषि एवं पशुचारण श्रमिकः–** भू–स्वामी लोग भारी संख्या में जिन कृषि–श्रमिकों, दासों और कर्म–कारो को खटाते थे जिनका अपना कोई संघ नहीं होता था। दासों और कर्मकारों के अलग– अलग दल जोतकोड़, रखवाली, कटनी, चरवाही और गोबर उत्पाद में लगाये जाते थें। बहुत से पेशेवर हलवाहे और रखवाले होते थें, जिनकी झोपड़ीयां खेत के निकट रहती थी । ओसाने फटकने वाले भी होते थे।
2. **औधोगिक श्रमिकः–** दास के साथ–साथ कर्मचारी भी राज राजकीय स्थापनाओं में या निजी स्वामियों से अधीन कताई, बुनाई या अन्य निर्माण कार्यो में लगाये जाते थे। स्थापनाओं में या निजी स्वामियों के अधीन कताई, बुनाई का अन्य निर्माण कार्यों मे लगाये जाते थे।
3. **वाणिज्य श्रमिकः–** दासों के साथ–साथ भाड़े के मजदूर फेरी लगाकर माल बेचने या नाव चलाने के काम में स्थलीय और जन मार्गीय व्यापारियों द्वारा नियोजित किये जाते थें।

4. **सीर – वाहकः–** सीर वाहक शायद वे श्रमिक कहलाते थे जो "सीर" भूमी जोतते थे। वे इच्छाधीन अधिकारी होते थे और उपज मे हिस्सा पाते थे।

भाड़े के श्रमिक अर्थात कर्मकारी कृषि, पशुपालन, उधोग, और व्यापार के कामों के कार्यो में नियोजित होते थे। उत्पादन की पद्धति ऐसी थी कि उसमें भाड़े के श्रमिक बेगार और दास आदि लगाये जाते थे। भाड़े के श्रमिक और आकस्मिक मजदूर सदा गरीबी और तकलीफ में रहते थे।[18] श्रमिको को पारिश्रमिक नकद या वस्तु रूप मे दिया जाता था। उसकी सामान्य कार्य–स्थिति दयनीय थी और उनका भोजन निम्न स्तर का था।

वैदिक काल से लेकर मौर्यकाल तक के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि स्त्री एवं दास वर्ग का अस्तित्व सदा से रहा है। स्त्री एवं दास वर्ग की स्थिति में मौर्य काल में कुछ सुधार अवश्यक हुआ लेकिन उसकी कथा–व्यथा का इतिहास चलता ही रहा स्त्री एवं दास वर्ग का यह इतिहास चक्र तबतक चलता रहेगा जबतक सामंतवाद की प्रकृति के स्थान पर साम्यवाद की प्रकृति, पूर्ण रूप से पनप न जाय। स्त्री एवं दास वर्ग की दयनीय स्थिति, सामंतवाद की शासक नीति और पूंजीवादी व्यवस्था ने आधुनिक विचारक कालमार्क्स को उसकी दशा सोचने के लिए विवश किया।

यहां मार्क्स के इस विचारों को देख लेना इसलिए वाछनीय है कि स्त्री एवं दास वर्ग शब्द का चयन और इसकी दशा को सुधारने का प्रयास मार्क्स ने ही किया।

मार्क्स पूंजीवादी व्यवस्था से प्रभावित होकर श्रमिक वर्ग की कारूण दशा को देखकर प्रभावित हो गया। उन्होने इस संबंध मे अपना विचार–दर्शन प्रस्तुत किया। जिसमे पूंजीपति का अन्त तथा श्रमिक वर्ग के उत्थान की पृष्ठभूमि तैयार हो सकें। वर्ग संघर्ष एवं स्त्री एवं दास वर्ग की विजय कामना से प्रेरित सिद्धांत को आधार सम्पूर्ण मानव समाज से वर्ग विरोध तथा शोषण को समाप्त करने की उत्कट इच्छा प्रबल हुई। मार्क्स पूंजीवादी के विनाश और स्त्री एवं दास वर्ग के विजय के परिणाम स्वरूप जन्म लेकर नवीन समाज की व्यवस्था नाम समाजवादी व्यवस्था दिया।

अतः मार्क्स द्वारा प्रतिपादित समाजवादी व्यवस्था का चित्र व्यवहारिक है। उन्होने यथार्थवादी दृष्टिकोण से समाज की प्रत्येक स्थिति पर विचार किया ऐतिहासिक तथ्य के आधार पर पूंजीवादी ब्यवस्था का नाश एवं स्त्री एवं दास वर्ग की विजय की भविष्यवाणी की।

संदर्भ सूची :–

1. नाहर रतिभानु सिंह – प्राचीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास किताब महल–इलाहाबाद 1988, पृ0 सं0 – 70.
2. वहीए पृ0 सं0 – 70.।
3. वहीए इलाहाबाद 1988, पृ0 सं0 – 70।
4. झा डी0 एन0 – प्राचीन भारत एक रूपरेखा "पीपुल्स पब्लिशिगं हाउस नई दिल्ली – 1980, पृ0 सं0 – 24।
5. झा डी0 एन0 – प्राचीन भारत एक रूपरेखा "पीपुल्स पब्लिशिगं हाउस नई दिल्ली – 1980, पृ0 सं0 – 23।
6. आपस्तम्ब धर्मसूत्र – 2/10/28/5. सिंह डा0 मदनमोहन – बुद्धकालीन समाज और धर्म, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी पटना – 1972.
7. अंगुत्तर निकाय – 3 पृ0 सं0 – 37 – 38 – वहीं पृ0 सं0 – 24.
8. मणिझम निकाय – 1 पृ0 सं0 – 152 वहीं पृ0 सं0 – 25.
9. जातक – 4 पृ0 सं0 – 200,376,390, सिंह डा0 मदनमोहन – बुद्धकालीन समाज और धर्म, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी सम्मेलन भवन पटना – 1972 पृ0 सं0 – 26।
10. झा डी0 एन0 – प्राचीन भारत एक रूपरेखा "पीपूल्स" पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली 1980 पृ0 सं0 – 46।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 3, March - 2018
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

11. शूद्रस्य द्विजाति शूश्रूषा वार्ता का कुशीलवकर्म च, कौटिल्य अर्थशास्त्र अधिकरण – 1 अध्याय – 3 , कांगले आर0 पी0 द्वारा संपादित बम्बई – 1958.
12. सिंह डा0 मदनमोहन – बुद्धकालीन समाज और धर्म – बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी पटना 1972, पृ0 सं0 – 33।
13. विधालंकार डा0 सत्यकेतु – मौर्य साम्रज्य का इतिहास श्री सरस्वती सदन नई दिल्ली 1986, पृ0 सं0 – 367।
14. विधालंकार डा0 सत्यकेतु – मौर्य साम्रज्य का इतिहास श्री सरस्वती सदन नई दिल्ली 1986, पृ0 सं0 – 368।
15. नट नर्तन गायन वादक वाग्जीवन कुशीलवा वा न कार्य विध्नं, कुर्वुरू निराश्रतवात ग्रामाजां क्षेत्रा भिरतत्वाच्च पुरूषाणाय अर्थशास्त्र – अधिकरण – 2, अध्याय –2, कांगले आर0 पी0 द्वारा संपादित बम्बई – 1958.
16. चौधरी राधाकृष्णन – प्राचीन भारत का आर्थिक इतिहास, जानकी प्रकाशन नई दिल्ली – 1986.
17. चौधरी राधाकृष्णा – प्राचीन भारत का आर्थिक इतिहास, जानकी प्रकाशन नई दिल्ली – 1986, पृ0 सं0 – 139,
18. चौधरी राधाकृष्णन – प्राचीन भारत का आर्थिक इतिहास, जानकी प्रकाशन नई दिल्ली – 1986, पृ0 सं0 – 144,